

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-३/१ अम्बेडकर भवन, रेजीडेंसी एरिया सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक: एफ १ (१) (९८) /स्था/सान्याअवि/१४/५६६३६

जयपुर, दिनांक २७/१०/२०१५

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक ५५८४८ दिनांक २२.१०.२०१४ के द्वारा किये गये अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में संशोधन कर निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	कहा से	कहा को	वि.विवरण
1	श्री सुवालाल पहाड़िया, सहायक निदेशक	उप निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन	सहायक निदेशक, नागौर	रिक्त पद पर
2	श्री संदीप कुमार, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, निदेशालय विशेष योग्यजन	निदेशालय, पिछड़ी जाति प्रशाखा	रिक्त पद पर
3	श्री मदन लाल नायक, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति), मुख्यावास	उप निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन	श्री पहाड़िया के स्थाप पर
4	श्रीमती सविता कृष्णिया, सहायक निदेशक	उप निदेशक, कोटा	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, कोटा	रिक्त पद पर
5	श्री राकेश कुमार वर्मा, सहायक निदेशक	आदेशों की प्रतीक्षा में	उप निदेशक, कोटा	श्रीमती कृष्णिया के स्थान पर
6	श्री ओम प्रकाश राहड़, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	सहायक निदेशक, सीकर	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, दौसा	रिक्त पद पर
7	श्री मनोज कुमार गहलोत, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	उप निदेशक, जयपुर ग्रामीण	सहायक निदेशक, सीकर	श्री राहड़ के स्थान पर
8	श्री भगवान सिंह, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, झालावाड़	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी कार्यालय बाल अधिकारिता विभाग, अलवर	श्री पारीक के स्थान पर
9	श्री ज्योति प्रकाश आरोड़ा, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जोधपुर	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, जोधपुर	रिक्त पद पर
10	श्री भगवान सहाय शर्मा, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, कोटा	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, बाल अधिकारिता विभाग, टोंक	रिक्त पद पर

11	श्री किशनराम लोल, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी कार्यालय, नारी निकेतन, बीकानेर	परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी कार्यालय बाल अधिकारिता विभाग, नागौर	रिक्त पद पर
----	--	---	--	-------------

विभागीय आदेश क्रमांक 55848 दिनांक 22.10.2014 के द्वारा क्रम संख्या 16 श्री संजय सांवलानी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, क्रम संख्या 29 श्री नरेश बारोटिया, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, क्रम संख्या 57 श्री घनश्याम पारीक, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, क्रम संख्या 60 श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, क्रम संख्या 61 श्री राजाराम, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, क्रम संख्या 77 श्री अशिन शर्मा, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी का किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगें।

उक्त आदेश में वार्णित एवं विभागीय आदेश क्रमांक 55848 दिनांक 22.10.2014 द्वारा किये गये विभागीय अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नव पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट ई.मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

M 27.10.14

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक

जयपुर, दिनांक २ नवंबर २०१४

क्रमांक: एफ १ (१) (९८ )/स्था/सान्याअवि/१४/५६६३७ -७४०

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर,.....।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,.....।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), मुख्यावास।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
10. सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग,.....।
11. सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
12. अधीक्षक, नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
13. अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/अपचारी बालिका गृह/बाल अधिकारिता विभाग,.....।
14. अधीक्षक, वृद्धाश्रम (वृद्ध एवं अशक्त गृह), .....।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,.....।
16. आदेश पत्रावली।



उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)